न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर (राज0)

अपील संख्या 12 / 66 / 2021

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2021 / 126

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री रमेश चन्द मीना पुत्र श्री लहरी राम मीना, नि0 दिव्यांग हेतु नेशनल कैरियर सर्विस सेन्टर, 4स, 23, सूर्य पथ, जवाहर नगर, जयपुर (राज.)–302004		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 20.09.2021

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 01.11.2021

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 23.07.2021 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर आ.ख.नं.4221, ग्राम–ठेकड़ीन, तह. राजगढ में अतिक्रमित कारवाई तोडने संबंधी 05 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी कार्यालय द्वारा पत्रांकः 491–92 दिनांकः 29.07.2021 के माध्यम से अपीलार्थी का आवेदन ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कलेशान, पं.स. राजगढ को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत अन्तरित किया गया।
5. उक्त आवेदन के परिप्रेक्ष्य में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कलेशान, पं.स. राजगढ द्वारा जरिये पत्र सं. ग्रा.पं.कलेशान / 2021 / 2022 / 53–54 दिनांकः 16.08.2021 के माध्यम से बिन्दुवार विनिश्चय कर अपीलार्थी को सूचित किया गया है जिसके अनुसार वांछित सूचनाऐं उपखण्ड कार्यालय, राजगढ से ही संबंधित होना अंकित किया है।
6. इस प्रकार आवेदन दिनांकः 23.07.21 में चाही गई सूचना अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हो पाने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 11.09.21 के माध्यम से इस न्यायालय को अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।
7. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया, साथ ही ई–मेल के जरिये भी जवाब–नोटिस प्रेषण हेतु सूचित किया गया। प्रत्यर्थी के पत्रांकः 6197 दिनांकः 28.10.2021 के माध्यम से बिन्दुवार जवाब प्राप्त हुआ। जवाब का परीक्षण करने पर प्रश्नगत सूचना की विषयवस्तु ग्राम पंचायत कलेशान से ही संबंधित होना अंकित किया है। अतिक्रमण हटाने संबंधी कार्यवाही ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कलेशान, पं.स. राजगढ द्वारा ही निष्पादित की गई है जिसका संदर्भ सं. 21–31 दिनांकः 03.07.21 अंकित है।
8. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के विरूद्ध प्रथम अपील गलत प्रस्तुत की गई है। प्रत्यर्थी द्वारा RTI आवेदन दिनांकः 23.07.21 का पत्र

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

सं. 491–92 दिनांकः 29.07.21 के माध्यम से ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कलेशान, पं.स. राजगढ को अन्तरण किया गया है, अपीलार्थी को चाहिए कि वो ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कलेशान, पं.स. राजगढ के विरूद्ध संबंधित ज्येष्ठ पंक्ति के वरिष्ठ अधिकारी को अपील करे।

9. अस्तु अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित ।

(वन्दना खोरवाल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)